MAA OMWATI DEGREE COLLEGE

HASSANPUR

Class:- B.com. 6th sem.

Subject :- Taxation law

Submitted By.

Mr. Subhash Chand

(Unit - I)

कर में कटौती एवं राहत
(Rebate and Relief of tax)

कर में कटौती (Rebate of tax) :-

जब करदाता की कुल आय में ऐसी आय शामिल की जाती है जिस पर पहले ही कर लग चुका है तो उसे इस संबंध में कर की राशि में से कुछ छूट दी जाती है, इसे कर में कटौती कहते हैं।

इस संबंध में आयकर अधिनियम में निम्न प्रावधान हैं :-

↓

व्यक्तियों के संघ अथवा व्यक्तियों के समूह (AOP or BOI) के सदस्य को कर में कटौती :→

यदि AOP अथवा BOI ने अपनी कुल आय पर कर की सामान्य दरों से आयकर चुकाया है तो सदस्य की आय का भाग सदस्य की अपनी कुल आय में शामिल होगा। सदस्य को आय के इस भाग पर आय कर की औसत दर से कटौती दी जाएगी।

कर में राहत :-

यदि किसी वित्तीय वर्ष में करदाता को :

(i) पुराना बकाया वेतन मिलने के कारण, अथवा
(ii) अग्रिम वेतन मिलने के कारण अथवा
(iii) 12 माह से अधिक वेतन मिलने के कारण अथवा
(iv) वेतन के स्थान में लाभ मिलने के कारण अथवा
(v) परिवार पेंशन का बकाया मिलने के कारण :

उसकी आय पर उस दर से अधिक दर से कर लगता है जो दर उस पर अन्यथा लागू होती तो करदाता द्वारा इस संबंध में धारा 89 के अंतर्गत प्रार्थना-पत्र देने पर कर-निर्धारण उसे नियम 21 A द्वारा निर्धारित राहत स्वीकार कर देगा।

⟹ प्रतिभूति संव्यवहार कर :- (STT)

1. जब प्रतिभूति संव्यवहार से आय की गणना 'व्यापार अथवा पेशे से आय' शीर्षक के अंतर्गत की जाती है तो प्रतिभूति संव्यवहार कर की राशि व्यापार अथवा पेशे से आय की गणना करने में कटौती योग्य है।

2. जब प्रतिभूति संव्यवहार से आय की गणना "पूंजी लाभ" शीर्षक के अंतर्गत की जाती है तो प्रतिभूति संव्यवहार कर की राशि की कटौती नही मिलती।

प्र० - व्यक्तियों की कुल आय की गणना करने की विधि बताइए।

उ० :- **व्यक्ति का अर्थ :-** एक व्यक्ति से तात्पर्य मानव मात्र से है (Human being) जिसे व्यष्टि भी कहते है। एक व्यक्ति में स्त्री, पुरुष, अवयस्क बच्चा अथवा स्वस्थ अथवा अस्वस्थ मस्तिष्क का कोई भी व्यक्ति शामिल है। एक व्यक्ति को अपनी कुल आय पर भिन्न-2 आय के खंडों पर भिन्न-2 दरों से आयकर चुकाना होता है।

कुल आय की गणना करने की विधि :-

(i) सर्वप्रथम आय के 5 शीर्षकों के अंतर्गत आय की गणना करदाता की निवासीय स्थिति के आधार पर करते हैं।

(ii) इस आय में शामिल की जाने वाली दूसरे व्यक्तियों की आय तथा अन्य मानी गयी आयें शामिल करते हैं।

(iii) तत्पश्चात किसी शीर्षक की हानि, आगे लायी हुई हानियां, अशोधित ह्रास, अशोधित छूटें आदि घटाते हैं। जो शेष बचता है उसे सकल कुल आय (Gross Total Income) कहते हैं।

(iv) सकल कुल आय में से (G.T.I) धारा 80 C से लेकर धारा 80 U तक के अंतर्गत प्राप्त कटौतियों के संबंध में कटौती करने के पश्चात जो शेष बचता है उसे कुल आय कहते हैं।

कुल आय को पूर्णांकित करना :-

यदि किसी करदाता की कुल आय की राशि 10 से पूर्णतया विभाज्य न हो अर्थात उसकी कुल आय में 10 ₹ का कोई अंश शामिल हो तो यदि 10 ₹ का वह अंश 5 अथवा 5 से अधिक हो तो उस अंश को बढ़ाकर 10 ₹ कर दिया जाएगा ताकि उसकी कुल आय 10 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए।

उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति की कुल आय 3,20,196 ₹ है तो इसे 3,20,200 ₹ में पूर्णांकित किया जाएगा। यदि कुल आय 3,20,194 ₹ हो तो 3,20,190 ₹ में पूर्णांकित किया जाएगा।

एक व्यक्ति (Individual) की आय की गणना :-

एक व्यक्ति को अपनी स्वयं की भिन्न-भिन्न शीर्षकों के अंतर्गत हुई आय के अतिरिक्त निम्न संस्थाओं की सदस्यता में जो आय मिलती है तथा कुछ आयें अन्य व्यक्तियों की भी ऐसी होती हैं जिनको एक व्यक्ति की कुल आय में शामिल किया जाता है। इनके शामिल करने के संबंध में निम्न प्रावधान हैं :-

(i) हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF) की सदस्यता से :- किसी व्यक्ति द्वारा एक हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य होने के नाते परिवार की आय से मिली हुई राशि पर न तो कर लगता है, और न वह उसकी कुल आय में शामिल की जाती है,

चाहे परिवार ने कर दिया हो अथवा नहीं, परन्तु परिवार के किसी सदस्य ने यदि अपने व्यक्तिगत परिश्रम से कोई आय प्राप्त की हो तो उस पर व्यक्ति के रूप में कर-निर्धारण होता है।

यदि किसी हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति को अपने परिवार की सम्पत्ति में परिवर्तित कर देता है तो उसकी परिवर्तित सम्पत्ति से आय उसकी व्यक्तिगत कुल आय में शामिल होगी, परिवार की कुल आय में नहीं।

(ii) व्यक्तियों के संघ (AOP) अथवा व्यक्तियों के समूह (BOI) की सदस्यता से :-

इनके सदस्यों को जो व्यक्तियों के संघ अथवा व्यक्तियों के समूह से आय प्राप्त होती है उसके संबंध में निम्न प्रावधान है :-

(अ) यदि व्यक्तियों के संघ अथवा व्यक्तियों के समूह की कुल आय पर अधिकतम सीमांत दर से अथवा उससे उच्चतर दर से कर लगा है तो सदस्य की आय का भाग उसकी व्यक्तिगत कुल आय में शामिल नहीं होगा।

(ब) यदि व्यक्तियों के संघ अथवा व्यक्तियों के समूह की कुल आय पर कोई आयकर लगने योग्य नहीं है तो उसके सदस्य को इससे प्राप्त आय के भाग को अपनी कुल आय में शामिल करके आय कर देना होगा।

(स) यदि व्यक्तियों के संघ अथवा व्यक्तियों के समूह ने अपनी कुल आय पर कर की सामान्य दरों से आय कर चुकाया है तो सदस्य की आय का भाग सदस्य की अपनी कुल आय में शामिल होगा परन्तु उस पर आय कर नहीं लगेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि सदस्य को आय के इस भाग पर आय कर की औसत दर से छूट दी जाएगी।

(iii) कंपनी की सदस्यता से :- इसका अभिप्राय कंपनी के अंशधारी के रूप में प्राप्त लाभांश से है। यदि घरेलू कंपनी से अंशों पर लाभांश प्राप्त होता है तो यह अंशधारी की आय में शामिल नहीं किया जाता है।

(iv) अन्य व्यक्तियों की कुल आय में शामिल होना अथवा आयों का मिलाना :-

(अ) यदि कोई व्यक्ति संपत्ति का हस्तांतरण किये बिना आय का हस्तांतरण कर देता

है तो ऐसी आय हस्तांतरकर्ता की आय में शामिल होगी।

(ब) सम्पत्तियों के खंडनीय हस्तांतरण पर ऐसी संपत्तियों से आय हस्तांतरकर्ता की आय में शामिल होगी।

(स) कुछ परिस्थितियों में एक व्यक्ति के जीवन साथी की आय उस व्यक्ति की आय में शामिल होगी।

(द) एक अवयस्क बच्चे की आय उसकी माता अथवा पिता, जैसी भी परिस्थिति हो, की कुल आय में शामिल होगी।

(य) अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित संपत्ति से यदि हस्तांतरकर्ता के जीवन-साथी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता है तो ऐसी संपत्ति की आय हस्तांतरकर्ता की कुल आय में शामिल होगी।

Chart Showing Computation of Total Income of an Individual

Income as computed under the following heads after set off losses:-

① Income from Salaries ---
② Income from House Property ---
③ Profits and Gains of Business or Profession ---
④ Capital Gains :-
(a) Long Term Capital Gains ---
(b) Short term Capital Gains ---
⑤ Income from other Sources:-
(a) Casual Incomes (e.g. Card game, Lottery etc) ---
(b) Other Incomes ---

Gross Total Income (G.T.I.) ---

Less:- Deductions Under Sec (80C to 80U) ---

Total Income =

Rounded off ₹ ---

प्र०:- व्यक्तियों (Individuals) के कर दायित्व की गणना किस प्रकार की जाती है?

उ०:- कर निर्धारण वर्ष 2014-15 में एक व्यक्ति की कुल आय पर निम्न दरों से आयकर की गणना की जाएगी:

1. वरिष्ठ नागरिक (भारत में निवासी तथा जिसकी आयु गत वर्ष में 60 वर्ष या अधिक है, पर 80 से कम)

→ प्रथम 2,50,000 ₹ पर (न्यूनतम कर-योग्य सीमा)	शून्य
→ अगले 2,50,000 पर	10%
→ अगले 5,00,000 पर	20%
→ शेष आय पर	30%

2. अति वरिष्ठ नागरिक (भारत में निवासी तथा जिसकी आयु गत वर्ष में 80 वर्ष या अधिक है) :-

→ प्रथम 5,00,000 पर (न्यूनतम कर-योग्य सीमा)	शून्य
→ अगले 5,00,000 पर	20%
→ शेष आय पर	30%

3. अन्य व्यक्ति (Individuals), HUF, BOI एवं AOP :-

→ प्रथम 200000 पर	शून्य
→ अगले 300000 पर	10%
→ अगले 500000 पर	20%
→ शेष आय पर	30%

यदि भारत में निवासी एक व्यक्ति (Individual) की कुल आय पांच लाख रुपए से अधिक नहीं है तो देयकर में से दो हजार रुपए तक की कटौती मिलेगी। -(धारा 87 A)

अधिभार (Surcharge):- @ 10% यदि कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है।

सीमांत राहत (Marginal Relief):- जब कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है तो कर की राशि अधिभार सहित एक करोड़ रुपए से अधिक आय की राशि पर इस आय से अधिक नहीं होगी।

शिक्षा उपकर (Education Cess):- आयकर तथा अधिभार की राशि पर 3% की दर से शिक्षा उपकर लगेगा।

देय राशि एवं वापसी को पूर्णांकित करना:- इस अधिनियम के अंतर्गत देय राशि (कर, ब्याज, अर्थदण्ड, फाइन आदि) तथा वापसी की राशि को दस के निकटतम तक Rounded नहीं किया जाएगा।

⇒ लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजिल्स, आदि के इनाम पर आय कर की गणना :-

यदि करदाता की कुल आय में लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजिल्स, दौड़ (घुड़दौड़ सहित) ताश या अन्य किसी खेल अथवा जुएँ या शर्त की आय भी सम्मिलित हो तो करदाता द्वारा देय आय कर निम्न राशियों का योग होगा :-

(i) उपर्युक्त प्रकार की आय पर 30% की दर से आय कर

(ii) कुल आय में से उपर्युक्त वर्णित आय घटाकर शेष आय को कुल आय मानकर निर्धारित दरों से आयकर की गणना की जाएगी।

अधिभार एवं सीमान्त राहत :- 10% यदि कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है।

सीमांत राहत :- जब कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है तो कर की राशि अधिभार सहित एक करोड़ रुपए से अधिक आय की राशि पर इस आय से अधिक नहीं होगी।

शिक्षा उपकर :- आयकर एवं अधिभार की राशि पर @ 3%.

→ कंपनी को छोड़कर अन्य व्यक्तियों पर अनुकल्पी न्यूनतम कर :-
(Alternative Minimum Tax)

1. किसे अनुकल्पी न्यूनतम कर देना है :-

कंपनी को छोड़कर सभी व्यक्तियों (Persons) को अनुकल्पी न्यूनतम कर देना होगा यदि :

(i) उसने निम्न धाराओं के अंतर्गत कटौती ली है — 80 IA, 80 IAB, 80 IB, 80 IC, 80 IE, 80 JJA, 80 LA, 80 QQB, 80 RR या 10 AA

(ii) किसी गत वर्ष की नियमित आय पर देय कर अनुकल्पी न्यूनतम कर (AMT) से कम है।

(अपवाद) :- यदि एक व्यक्ति (Individual) या हिंदू अविभाजित परिवार या व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का समूह कृत्रिम व्यक्ति की समायोजित कुल आय बीस लाख रुपए से अधिक नहीं है तो उसे अनुकल्पी न्यूनतम कर (AMT) नहीं देना होगा।

2. कर - दायित्व :- समायोजित कुल आय को उसकी कुल आय माना जाएगा और इस आय पर 18.5% + अधिभार, यदि देय है + शिक्षा

उपकर 3% की दर से कर देना होगा।

3. समायोजित कुल आय की गणना :-

↓

व्यक्ति की कुल आय	----
Add:- (i) सकल कुल आय में से आयों के संबंध में धारा 80 IA, 80 IAB, 80 IB, 80 IC, 80 ID, 80 IE, 80 JJA, 80 LA, 80 QQB, 80 RRB में कटौतियों की राशि	----
(ii) धारा 10 AA के अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित नई इकाई के लाभ के संबंध में कटौती की राशि	----
समायोजित कुल आय :-	----

4. अनुकल्पी न्यूनतम कर के लिए क्रेडिट :-
यदि किसी व्यक्ति ने अनुकल्पी न्यूनतम कर दिया है तो उसे निम्न प्रकार क्रेडिट दिया जाएगा :-

(i) धारा 115 JC के अंतर्गत चुकाये गये कर तथा आयकर अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुसार कुल आय पर देय कर के अंतर की राशि का क्रेडिट दिया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि कुल आय पर देय कर 20,000 रु. है और धारा 115 JC के अंतर्गत चुकाया गया कर यदि 50,000 रु है तो 30,000 रु. क्रेडिट मिलेगा।

(ii) कर का यह क्रेडिट अधिक से अधिक दस कर-निर्धारण वर्षों तक पूर्ति के लिए आगे ले जाया जा सकता है।

(iii) कर क्रेडिट की पूर्ति उस वर्ष में की जायेगी जिसमें कुल आय पर देय कर धारा 115 JC के अंतर्गत देय कर से अधिक होगा।

(iv) यह पूर्ति उसी राशि तक की जायेगी जितनी राशि उपर्युक्त (iii) के अनुसार अधिक होगी। उदाहरण के लिए माना कर का क्रेडिट 40,000 ₹ का है। माना कुल आय पर देय कर 1,00,000 ₹ है तथा धारा 115 JC के अंतर्गत देय कर 80,000 ₹ है तो इस वर्ष कंपनी केवल 20,000 ₹ की पूर्ति कर सकती है और 80,000 ₹ कर चुकाएगी।

(v) कर के क्रेडिट पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

5. <u>अंकेक्षण</u> <u>रिपोर्ट</u> :- प्रत्येक ऐसे व्यक्ति

को जिसने अनुकल्पी न्यूनतम कर (AMT) कर दिया है C.A. से निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र लेना होगा कि उसने समायोजित कुल आय की राशि की गणना तथा इस पर देय अनुकल्पी कर की राशि की गणना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की है।

(कर की गणना की विधि)

1. करदाता की सकल कुल आय ज्ञात कीजिए।
2. सकल कुल आय में से धाराएं 80 C से 80 U तक की कटौतियां घटाइए। शेष कुल आय बचेगी।
3. कुल आय को 10 से गुणनफल तक निकटतम करें।
4. यदि एक व्यक्ति करदाता की कुल आय कर-मुक्त सीमा से अधिक हो तथा शुद्ध कृषि आय 5000 ₹ से अधिक हो तो कुल आय तथा कृषि आय का योग किया जाएगा।
5. अन्य आय के योग पर निर्धारित दरों से कर की गणना करे तथा धारा 111 A में वर्णित अल्पकालीन पूंजी लाभ पर एवं दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर धारा 112 के अंतर्गत कर की गणना करो।

6. कृषि आय में कर-मुक्त सीमा की राशि जोड़कर आयकर की गणना करे।
7. उपर्युक्त (6) में गणना की गई आयकर की राशि को उपर्युक्त (5) में गणना की गई आयकर की राशि में से घटाओ।
8. (7) में बची हुई राशि कुल आय पर आयकर होगी।
9. कुल आय का भाग (8) में ज्ञात की गई आयकर की राशि में देकर औसत दर निकालो।
10. ऐसी राशियां ज्ञात करो जिन पर औसत दर से कर की छूट मिलेगी।
11. औसत दर से छूट की गणना करो और उसे (8) में गणना की गई आय कर की राशि में से घटाओ।
12. आयकर की राशि पर अधिभार एवं शिक्षा उपकर जोड़ो।
13. उपर्युक्त के अनुसार गणना की गई कर की राशि में से निम्न घटाओ :-

(i) उद्गम स्थान पर काटा गया कर (TDS)
(ii) चुकाया गया अग्रिम कर (Advance Tax)
(iii) दोहरे करारोपण की छूट
(iv) स्वयं कर-निर्धारण पर चुकाया गया कर

14. शेष बची राशि देय कर होगी।
15. अगर करदाता पर कोई जुर्माना या अर्थ दंड है तो उसे कर के साथ यह भी चुकाना होगा।

Unit - II

प्र० हिंदू अविभाजित परिवार का कर-निर्धारण एवम् कर दायित्व की गणना किस प्रकार की जाती है?

उ०:- हिंदू अविभाजित परिवार :-

हिंदू लॉ के अनुसार :- हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) से आशय उन सभी व्यक्तियों से है जो एक ही पूर्वज के वंशज हों (सिवाय उनके जो परिवार की सम्पत्ति का विभाजन होने पर संयुक्त परिवार से पृथक हो गये हों) इसमें इनकी पत्नियां तथा अविवाहित पुत्रियां शामिल होती हैं।

हिंदू अविभाजित परिवार :-

एक अविभाजित हिंदू परिवार में दो प्रकार के सदस्य होते हैं :-

(1) वे सदस्य जो केवल पालन - पोषण के अधिकारी है, उदाहरणार्थ, परिवार के स्त्री सदस्य

(ii) वे सदस्य जिन्हें परिवार के विभाजन पर अपना भाग मांगने का अधिकार हो। इन्हें सहभागी कहते है। ये पुत्र, पौत्र, तथा पर- पौत्र होते हैं।

आयकर के दृष्टिकोण से एक हिंदू अविभाजित परिवार वह है जिसके पास परिवार की सम्पत्ति शामिल में हो तथा उसमें कम से कम दो सदस्य हों।

(1) परिवार की सम्पत्तियों का शामिल में होना :- इससे आशय निम्न सम्पत्तियों से है :- (i) पूर्वजों से प्राप्त हुई सम्पत्ति

(ii) पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति की सहायता से प्राप्त होने वाली परिवार की कोई अन्य सम्पत्ति

(iii) परिवार के सदस्य द्वारा अपने व्यक्तिगत परिश्रम अथवा साधन से प्राप्त की गई कोई सम्पत्ति जिसे उसने परिवार की संपत्ति मान लिया हो।

(2) हिंदू अविभाजित परिवार में निम्न शामिल हो सकते हैं :-

(i) प्रत्येक व्यक्ति जो एक ही पूर्वज का वंशज हो, इसमें इनकी पत्नियां तथा अविवाहित पुत्रियां भी शामिल होती है।

(ii) मृतक पुरुष सदस्य अथवा सदस्यों की विधवा

(iii) पति तथा पत्नी (iv) केवल भाई

(v) परिवार के सदस्यों की विधवाएँ

परिवार का कर्ता :- साधारणतया परिवार का ज्येष्ठतम पुरुष सदस्य परिवार का कर्ता होता है। यदि वह कर्ता बनने का अधिकार त्याग देता है तो परिवार का कनिष्ठ पुरुष सदस्य कर्ता नियुक्त हो सकता है। यदि परिवार में कोई पुरुष सदस्य नहीं है तो परिवार की ज्येष्ठतम महिला कर्ता मानी जाएगी।

जैन तथा सिख अविभाजित परिवार :- ये भी हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF) ही माने जाते है।

हिंदू अविभाजित परिवार का निवास (Residence of HUF)

1. → एक हिंदू अविभाजित परिवार किसी भी गत वर्ष के लिए निवासी माना जाता है यदि गत वर्ष में :
इसका नियंत्रण एवं प्रबंध पूर्णतया अथवा आंशिक रूप में भारत में स्थित है।

2. परिवार अनिवासी केवल तब होता है :-
→ जबकि उसका नियंत्रण एवं प्रबंध पूर्णतया भारत के बाहर स्थित हो।

नियंत्रण एवं प्रबंध से आशय उसके वास्तविक नियंत्रण एवं प्रबंध से है, अर्थात जहां से परिवार के व्यापार आदि के संचालन की नीति निर्धारित होती है तथा समय-2 पर आदेश दिये जाते है। यह आवश्यक नहीं कि जहां व्यापार चलता हो वहीं उसका नियंत्रण एवं प्रबंध भी हो।

3. एक हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) किसी गत वर्ष के लिए भारत में असाधारण निवासी (Not Ordinarily Resident - N.O.R.) माना जाता है यदि :-
→ उसका कर्ता (Manager) गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में से 9 वर्ष भारत में अनिवासी हो, या
→ उसका कर्ता गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 729 दिन या इससे कम भारत में रहा हो।

(हिंदू अविभाजित परिवार का कर-निर्धारण)

हिंदू अविभाजित परिवार स्वतंत्र रूप से एक करदाता है। इस पर परिवार के नाम से व्यक्ति की तरह कर-

निर्धारण किया जाता है परन्तु इसका निवास स्थान निर्धारित करने के संबंध में नियम व्यक्ति से अलग है। एक हिंदू अविभाजित परिवार का कर-निर्धारण उसके कर्ता (Manager) के द्वारा होता है। परिवार का ज्येष्ठतम पुरुष सदस्य परिवार का कर्ता बन जाता है।

परिवार के सदस्यों को दिया गया वेतन :- परिवार के किसी सदस्य को (कर्ता सहित) यदि वेतन दिया जाता है तो परिवार की कर-योग्य आय निकालते समय उसकी कटौती तभी दी जाती है, जबकि उसने परिवार की आय कमाने के लिए कोई सेवा की हो वरना यह कटौती नहीं दी जाती है।

न्यूनतम कर-योग्य सीमा :- एक हिंदू अविभाजित परिवार की दशा में न्यूनतम कर योग्य सीमा 2,00,000 है।

कुल आय की गणना करने के लिए सकल कुल आय में से निम्न

धाराओं के अंतर्गत कटौतियां पाने का अधिकारी है :-

80 C, 80 CCF, 80 D, 80 DD, 80 DDB, 80 G, 80 GGA, 80 GGC, 80 IA, 80 IB, 80 IC, 80 ID, 80 IE, 80 JJA तथा 80 TTA.

परिवार द्वारा देय आयकर की गणना :-
(कर - निर्धारण वर्ष 2014 - 15)

एक हिंदू अविभाजित परिवार की कुल आय पर निम्न दरों से कर लगेगा :-

कुल आय के प्रथम	2,00,000 पर	शून्य
" " " अगले	3,00,000 पर	10%
" " " "	5,00,000 पर	20%
10,00,000 ₹ से अधिक कुल आय पर		30%

अधिभार (Surcharge) :- यदि कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है @ 10%.

सीमांत राहत (Marginal Relief) :- जब कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है तो कर की राशि अधिभार सहित एक करोड़ रुपये से अधिक आय की राशि पर इस आय से अधिक नहीं होगी, परंतु शिक्षा

उपकर पर सीमांत राहत नहीं मिलेगी।

शिक्षा उपकर (Edu Cess):- आयकर एवं अधिभार की राशि पर 3% की दर से शिक्षा उपकर लगेगा।

स्त्रीधन:- स्त्रीधन वह सम्पत्ति होती है जो स्त्री को अपने पिता, भाई, पति अथवा अन्य किसी रिश्तेदार से मिली हो। यह उसे चाहे विवाह से पूर्व मिली हो चाहे बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दायभाग सम्प्रदाय में पति से मिली हुई अचल सम्पत्ति स्त्रीधन में नहीं आती है। स्त्रीधन से आय स्त्री की पृथक आय मानी जाती है।

अविभाजनीय सम्पत्ति:- यह वह सम्पत्ति होती है जिसे परिवार के सदस्यों में बांटा नहीं जा सकता है। ऐसी सम्पत्ति में भूमि, भवन, प्रतिभूतियां अथवा आय के अन्य साधन आते हैं। जो किसी पूर्वज द्वारा अपनी will द्वारा किसी व्यक्ति को धारक बनाती है। प्राय: यह सम्पत्ति परिवार के सबसे ज्येष्ठ सदस्य को

मिलती है। इस सम्पत्ति की आय परिवार की आय नही होती है। यह उस सम्पत्ति के धारक की व्यक्तिगत आय होती है और उसके व्यक्तिगत कर-निर्धारण में इस आय पर कर लगता है। इस आय में से परिवार के अन्य सदस्यों को जो भाग मिलता है वह उनके हाथ में पूर्णतया कर-मुक्त है।

⟹ **हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य को परिवार से प्राप्तियां**:→ धारा 10(2) के अंतर्गत, हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य को परिवार से जो धनराशि मिलती है वह उसकी कुल आय में नही जोड़ी जाती है, बशर्ते कि यह राशि परिवार की आय में से दी गयी हो अथवा अविभाजनीय सम्पत्ति की दशा में यह राशि परिवार की सम्पत्ति की आय में से दी गई हो यह छूट तभी स्वीकार हो सकती है जबकि निम्न शर्तें पूरी हो जाएं:-

1. एक हिंदू अविभाजित परिवार होना
2. करदाता का हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य होना
3. यह राशि परिवार की आय में से दी गयी हो।

प्र० :- फर्म का कर-निर्धारण एवं कर-दायित्व की गणना किस प्रकार की जाती है?

उ० :- **फर्म का अर्थ :-** साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत साझेदारी से आशय ऐसे व्यक्तियों के बीच संबंध से है, जो सभी के द्वारा अथवा उनमें से किसी के द्वारा सभी के लिए चलाये जा रहे किसी व्यापार के लाभों को बांटने में सहमत हों। इन व्यक्तियों को साझेदार कहते हैं तथा सामूहिक रूप से इन्हें फर्म कहते हैं।

फर्म के रूप में कर-निर्धारण :-

एक फर्म पर फर्म के रूप में कर-निर्धारण होगा यदि :

(1) साझेदारी एक प्रलेख के आधार पर बनी है तथा

(2) उस प्रलेख में साझेदारों के भाग के अनुपात लिखे हैं।

(3) जिस कर-निर्धारण वर्ष में प्रथम बार फर्म के रूप में कर-निर्धारण करवाना है उससे संबंधित गत वर्ष

की फर्म की आय के विवरण के साथ साझेदारी प्रलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि भी दाखिल करनी होगी।

(4) यदि किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए एक बार फर्म के रूप में कर-निर्धारण हो गया हो तो बाद के प्रत्येक वर्ष में उस पर फर्म के रूप में ही कर-निर्धारण होता रहेगा जब तक कि फर्म के संगठन में परिवर्तन न हो जाए।

(5) यदि गत वर्ष में फर्म में परिवर्तन हो जाए तो फर्म संबंधित गत वर्ष की आय के विवरण के साथ संशोधित साझेदारी प्रलेख की एक प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल करेगी।

(6) यदि फर्म धारा 144 के प्रावधानों की पूर्ति करने में चूक करे तो भी फर्म पर फर्म के रूप में कर-निर्धारण होगा और निम्न प्रावधान लागू होंगे :-

(i) फर्म की व्यापार एवं पेशे से आय की गणना करते समय साझेदार को यदि कोई ब्याज, वेतन कमीशन आदि दिया गया है तो उसकी कटौती नहीं मिलेगी।

(ii) उपर्युक्त (i) में वर्णित आय साझेदार की आय में शामिल नहीं की जाएगी।

फर्म की आय की गणना :-

फर्म की व्यापार अथवा पेशे से आय की गणना करते समय साझेदार को फर्म से प्राप्त अथवा प्राप्य कोई ब्याज वेतन बोनस कमीशन अथवा पारिश्रमिक जितना धारा (40 b) के अंतर्गत अस्वीकृत हो, व्यापार अथवा पेशे के शीर्षक में शामिल होगा। धारा 40 (b) के अंतर्गत निम्न व्यय अस्वीकृत है :-

(i) किसी ऐसे साझेदार को जो सक्रिय न हो, दिया गया वेतन, बोनस, कमीशन अथवा अन्य पारिश्रमिक अस्वीकृत है।

(ii) किसी सक्रिय साझेदार को ऐसे पारिश्रमिक का भुगतान, जो न साझेदारी प्रलेख से अधिकृत हो और न प्रलेख की शर्तों के अनुसार हो, अस्वीकृत है।

(iii) साझेदारी प्रलेख से अधिकृत तथा प्रलेख की शर्तों के अनुसार प्रलेख की तिथि के बाद साझेदार को 12% प्रति वर्ष की दर से अधिक दर से ब्याज का भुगतान अस्वीकृत होगा।

(iv) साझेदारी प्रलेख से अधिकृत तथा प्रलेख की शर्तों के अनुसार प्रलेख की तिथि के बाद की अवधि के लिए किसी सक्रिय साझेदार को निम्न सीमा से अधिक पारिश्रमिक का भुगतान अस्वीकृत होगा :-

→ प्रथम 3,00,000 ₹ के पुस्तक लाभ पर अथवा हानि की दशा में	= ₹ 1,50,000 अथवा पुस्तक लाभ का 90% जो दोनों में अधिक हो।
→ 3,00,000 ₹ से अधिक के पुस्तक लाभ पर	= तीन लाख रुपए से अधिक पुस्तक लाभ का 60%.

फर्म से एक साझेदार की आय की गणना

→ एक साझेदार की फर्म से आय की गणना करने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है :-

(i) पारिश्रमिक :- जब साझेदारी प्रलेख की शर्तों के अनुसार किसी साझेदार को अपनी फर्म से वेतन, बोनस, कमीशन अथवा अन्य पारिश्रमिक मिला हो (जो धारा 40(b)

में दी गयी सीमा से अधिक न हो) तो वह वेतन शीर्षक में कर-योग्य नहीं होगा क्योंकि साझेदार फर्म का कर्मचारी नहीं होता है। अतः यह राशि व्यापार अथवा पेशे से लाभों के शीर्षक में कर-योग्य है। यदि कोई फर्म अपने साझेदार को धारा 40 (b) के अंतर्गत स्वीकृत राशि से अधिक राशि का ब्याज, वेतन, बोनस अथवा अन्य पारिश्रमिक देती है। तो ऐसी अधिक राशि साझेदार के हाथ में कर-योग्य नहीं होगी।

(ii) ब्याज :- जब साझेदार को कोई ब्याज साझेदारी प्रलेख की शर्तों के अनुसार मिला हो (परंतु 12% प्रति वर्ष की दर से अधिक नहीं) तो ऐसी आय को भी व्यापार की आय माना जाएगा और 'व्यापार अथवा पेशे के लाभों' के शीर्षक में शामिल होगा।

(iii) किराया :- यदि कोई साझेदार अपनी फर्म को अपना भवन किराये पर दे देता है तो उसकी आय 'मकान-सम्पत्ति आय' शीर्षक में कर योग्य होगी।

पुस्तक लाभ की गणना :-

	₹	₹
लाभ हानि खाते के अनुसार शुद्ध लाभ		---
जोड़ो : (i) अस्वीकृत व्यय	---	
(ii) साझेदारों को पारिश्रमिक यदि लाभ हानि खाते में डेबिट कर दिया गया हो	---	
(iii) 12% की दर से अधिक दर का ब्याज	---	

घटाओ : (iv) स्वीकृत व्यय जो उपर्युक्त (i) में अस्वीकृत कर दिए गए हैं	---	
(v) अन्य समस्त साधनों से आय जो लाभ-हानि खाते में Credit कर दी गयी है	---	
	---	---
पुस्तक लाभ →		---

फर्म की कुल आय की गणना करने का प्रारूप :-

फर्म का पुस्तक लाभ	----
घटाओ:	
सक्रिय साझेदारों को दिया गया पारिश्रमिक : निम्न में से सबसे कम:	
(क) वास्तविक पारिश्रमिक ----	
(ख) धारा 40(b) के अंतर्गत वैधानिक सीमा ----	----
फर्म के व्यापार अथवा पेशे से लाभ =	----
जोड़ो:- अन्य समस्त साधनों से आय	----
सकल कुल आय :	----
घटाओ: धारा 80 C से 80 U तक की कटौतियाँ	----
कुल आय	----
घटाओ: फर्म द्वारा देयकर	----
लाभ हानि के अनुपात में साझेदारों में वितरण के लिए वितरण योग्य आय	----

⟹ पुस्तक लाभ की गणना के संबंध में महत्वपूर्ण बातें :-

1. आगे लाई गई अशोधित व्यापारिक हानि को पुस्तक लाभ की गणना करने के लिए घटाया नहीं जाएगा।

2. गैर- व्यापारिक आयें तथा उससे संबंधित गैर- व्यापारिक खर्चों को पुस्तक लाभ की गणना करने के लिए शामिल नहीं किया जाता है।

(कर की गणना)

एक फर्म की कुल आय पर कर- -निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए निम्न दरों से कर लगेगा :

(i) धारा 111 (A) में वर्णित अल्पकालीन पूंजी लाभ @ 15%.
(ii) दीर्घकालीन पूंजी लाभ @ 10% / 20%.
(iii) लाटरी, क्रासवर्ड पहेली, घुड़दौड़ आदि के इनाम पर @ 30%.
(iv) अन्य आय 30%.

अधिभार (Surcharge) :- यदि कुल आय एक करोड़ रुपये से अधिक है @ 10%.

सीमांत राहत (Marginal Relief) :- जब कुल आय एक करोड़ रुपये से अधिक है

तो कर की राशि अधिभार सहित एक करोड़ से अधिक आय की राशि पर इस आय से अधिक नहीं होगी, परन्तु शिक्षा उपकर पर सीमांत राहत नहीं मिलेगी।

शिक्षा उपकर (Edu. cess) @ 3%

UNIT-III

प्र० :- आयकर प्राधिकारियों के अधिकारों का वर्णन कीजिए।

उ० :- आयकर अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए तथा आयकर विभाग का प्रशासन अच्छी तरह से चलाने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित प्राधिकारियों की व्यवस्था की है। विभिन्न प्रकार के प्राधिकारी निम्न हैं :-

1. प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड
2. आयकर प्रमुख निदेशक अथवा मुख्य आय कर कमिश्नर
3. आयकर निदेशक अथवा आय कर कमिश्नर अथवा आयकर कमिश्नर (अपील)
4. संयुक्त आय कर निदेशक अथवा संयुक्त आयकर कमिश्नर
5. उप-निदेशक आय कर अथवा उप-कमिश्नर आय कर
6. सहायक निदेशक आय कर अथवा सहायक कमिश्नर आय कर
7. आय कर अधिकारी
8. कर-वसूली अधिकारी
9. आय कर निरीक्षक

प्रत्यक्ष करों का केन्द्रीय बोर्ड के अधिकार :-

(1) नियम बनाने का अधिकार :- यह आयकर अधिनियम के संबंध में संपूर्ण भारत अथवा उसके किसी भाग के लिए नियम बनाता है। इन नियमों के बनने के बाद संसद इनका अनुमोदन करती है।

(2) आदेश व निर्देश देने का अधिकार :- यह आय कर के अन्य प्राधिकारियों को ऐसे आदेश व निर्देश दे सकता है जो आय कर अधिनियम को उचित रूप से कार्यान्वित करने के लिए उचित होते हैं तथा जिनका पालन करना प्राधिकारियों के लिए आवश्यक है।

(3) नियुक्ति का अधिकार :- केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकृत हो जाने पर बोर्ड सहायक कमिश्नर अथवा उप-कमिश्नर से नीचे के पद के आय कर प्राधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है।

(4) कंपनी घोषित करना :- बोर्ड को अधिकार है कि वह किसी संस्थान, संघ अथवा संगठन को किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए कंपनी घोषित कर सकता है।

(5) किसी उच्च प्राधिकारी को खोज तथा जब्त करने के लिए अधिकृत करना :- बोर्ड किसी प्रमुख निदेशक, मुख्य कमिश्नर, संयुक्त निदेशक अथवा संयुक्त कमिश्नर को अधिकृत कर सकता है कि वह धारा 132 के अंतर्गत खोज तथा जब्त करने के संबंध में कार्यवाही कर सकता है।

प्रमुख निदेशक, मुख्य कमिश्नर तथा कमिश्नर के अधिकार :-

(1) स्टाफ की नियुक्ति करना :- यदि बोर्ड अधिकृत कर दे, तो ये आय कर प्राधिकारी अपने कार्य को सुचारु रूप से करने के लिए आवश्यक staff की नियुक्ति कर सकते हैं।

(2) पुनः कर निर्धारण करने के नोटिस की

स्वीकृति देना :- मुख्य कमिश्नर अथवा कमिश्नर को अधिकार है कि वह संबंधित कर-निर्धारण वर्ष के बाद 4 वर्ष बीत जाने के बाद धारा 148 के अंतर्गत पुनः कर-निर्धारण करने के नोटिस के निर्गमन की स्वीकृति दे सकता है।

(3) अर्थ दण्ड घटाने अथवा माफ करने का अधिकार :- कमिश्नर को अधिकार है कि वह धारा 271(1)(iii) के अंतर्गत लगे हुए अर्थ दण्ड को घटा सकता है अथवा माफ कर सकता है।

(4) कुर्की करने की अनुमति देना :- यदि कर-निर्धारण अधिकारी की सम्मति में सरकारी आय को सुरक्षित रखने के लिए यह आवश्यक है कि करदाता की किसी सम्पत्ति को कुर्क कर लिया जाए तो उसे ऐसा आदेश देने से पूर्व मुख्य कमिश्नर अथवा कमिश्नर की अनुमति लेनी होगी।

(5) मामले का हस्तांतरण :- इनको यह अधिकार है कि

वह किसी मामले को अपने मातहत किसी कर-निर्धारण अधिकारी से अपने ही मातहत किसी अन्य कर-निर्धारण अधिकारी को हस्तांतरण कर दें।

⟹ (संयुक्त कमिश्नर, उप-निदेशक, सहायक निदेशक के अधिकार)

(1) सूचनाएं मांगने का अधिकार :- संयुक्त कमिश्नर अथवा कर-निर्धारण अधिकारी को करदाता से आवश्यक सूचनाएं मांगने का अधिकार है।

(2) प्रवेश एवं जांच-पड़ताल करने का अधिकार :- वे अपने कार्य-क्षेत्र के अंदर किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकते हैं और उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं।

(3) कंपनी के रजिस्टरों का निरीक्षण करने का अधिकार :- वह किसी कंपनी के सदस्यों, ऋणपत्र-धारियों अथवा रहन के रजिस्टरों का निरीक्षण कर सकता है और उसकी नकलें भी ले सकता है।

(4) संयुक्त कमिश्नर को पूछताछ का अधिकार:- संयुक्त कमिश्नर इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी पूछताछ करने के लिए सक्षम होगा और उसे वे सब अधिकार होंगे जो एक कर-निर्धारण अधिकारी को इस अधिनियम के अंतर्गत पूछताछ करने के संबंध में हैं।

(5) रिकॉर्ड मंगवाकर जांच-पड़ताल करना:- संयुक्त कमिश्नर को अधिकार है कि वह किसी विचाराधीन कर-निर्धारण की कार्यवाही के संबंध में रिकॉर्ड मांगकर जांच-पड़ताल कर सकता है और यदि वह आवश्यक समझता है तो कर-निर्धारण अधिकारी को इस संबंध में उचित निर्देश दे सकता है।

(6) न्यायिक अधिकार:- संयुक्त कमिश्नर अथवा कर-निर्धारण अधिकारी को इस अधिनियम के अंतर्गत किसी मुकदमे को सुनने के समय, वे सब अधिकार होते हैं, जो एक न्यायालय को Code of Civil Procedure, 1908 के अंतर्गत होते हैं।

प्र० - कर-निर्धारण से क्या अभिप्राय है? कर-निर्धारण के प्रकारों का वर्णन कीजिए।

उ० :- **कर-निर्धारण** :- कर निर्धारण से तात्पर्य करदाता की कुल आय की गणना करना एवं इस पर देय कर की गणना करने से है।

कर-निर्धारण के प्रकार

↓

1. स्वयं कर निर्धारण
2. नियमित कर निर्धारण
3. सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण
4. पुनः कर निर्धारण

(1) **स्वयं कर निर्धारण** :- दाखिल की जाने वाली आयकर विवरणी के आधार पर देय कर में से, पूर्व चुकाये गये कर को घटाकर जो कर की देय राशि बचे वह राशि तथा यदि आयकर विवरणी दाखिल करने में विलम्ब हुआ हो अथवा अग्रिम कर चुकाने में चूक अथवा देर हुई हो तो इसके कारण जो ब्याज

देय होगा वह भी विवरणी दाखिल करने के पूर्व चुकाना होगा और दोनों राशियों के चुकाने का सबूत आयकर विवरणी के साथ नत्थी करना होगा।

इस प्रकार के कर निर्धारण को स्वयं कर निर्धारण इसलिए कहते है क्योंकि इसमें करदाता स्वयं ही अपनी कुल आय की गणना करता है, आय पर कर की गणना करता है तथा कर की राशि का भुगतान करता है।

(स्वयं कर-निर्धारण पर देय ब्याज की गणना)

धारा 234 A एवं 234 B के अंतर्गत देय ब्याज की गणना:-

(i) रिटर्न में घोषित आय पर देय कर ---

(ii) घटाओ: (a) अग्रिम कर की राशि ---

(b) TDS ---

(c) विदेश में दिए गए आयकर के संबंध में दुहरे करारोपण की छूट राशि ---

(d) कंपनी करदाता को न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) के संबंध में क्रेडिट की राशि ---

वह राशि जिस पर ब्याज लगेगा → ---

② नियमित कर निर्धारण (Regular Assessment):-

(I.) संक्षिप्त कर निर्धारण
अथवा
आयकर विवरणी के आधार पर कर-निर्धारण

जब आयकर विवरणी (ITR form) दाखिल कर दी जाती है और कर-निर्धारण अधिकारी बिना करदाता को बुलाए तथा बिना उससे पूछताछ किए कर का निर्धारण कर देता है तो इसे संक्षिप्त कर निर्धारण कहते है।

ऐसी विवरणी पर निम्न रीति से कार्यवाही की जाएगी:-

(a) कुल आय या हानि की गणना निम्न समायोजन करने के पश्चात की जाएगी;

(i) विवरणी में कोई गणित संबंधी गलती, या

(ii) कोई गलत दावा, यदि ऐसा गलत दावा विवरणी में किसी सूचना से प्रकट है।

(b) कर और ब्याज, यदि कोई है, की गणना (a) में निर्धारित कुल आय के आधार पर की जाएगी।

(c) करदाता द्वारा देय राशि या उसे वापसी की राशि की गणना निम्न प्रकार की जाएगी :-

(b) के अंतर्गत निर्धारित कर एवं ब्याज की राशि	---
घटाया :- उद्गम पर कर की कटौती	---
उद्गम पर एकत्रित कर	---
अग्रिम कर	---
कर से राहत	---
कर में कटौती (Rebate)	---
स्वयं कर निर्धारण पर भुगतान	---
कर एवं ब्याज को छोड़कर अन्य भुगतान	---
देय कर/वापसी	---

(d) (c) में निर्धारित राशि के आधार पर करदाता को देय कर या वापसी की सूचना भेजी जाएगी।

(e) यदि करदाता की वापसी (Refund) है तो उसे स्वीकार की जाएगी।

(f) यदि करदाता ने विवरणी में हानि दर्शायी है और ऐसी राशि समायोजित की जाती है तो इसकी सूचना भी करदाता को भेजी जाएगी चाहे कर या ब्याज की राशि या वापसी नहीं है।

(g) उपर्युक्त सूचना जिस वित्तीय वर्ष में विवरणी दाखिल की गई है उसकी समाप्ति से एक वर्ष बाद नहीं दी जा सकती।

(h) यदि (c) के अंतर्गत कोई राशि देय या वापसी योग्य नहीं है और (a) के अंतर्गत कोई समायोजन नहीं किया गया है तो विवरणी की अभिस्वीकृति सूचना मानी जाएगी।

(II.) सबूतों के आधार पर

यदि कर-निर्धारण अधिकारी आयकर विवरणी (ITR) की सत्यता की जांच करना आवश्यक समझता है ताकि वह यह निश्चय कर सके कि आय कम नहीं दिखाई गई अथवा कर कम नहीं चुकाया गया तो

वह करदाता को नोटिस देगा कि करदाता विनिर्दिष्ट तारीख को कर-निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर अपने आयकर विवरणी के पक्ष में सबूत प्रस्तुत करे।

(III) सबूतों के बाद कर-निर्धारण

नोटिस के उत्तर में करदाता द्वारा प्रस्तुत किये गये सबूतों तथा कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा विशिष्ट बिंदुओं पर मांगे गये सबूतों को सुनकर तथा कर-निर्धारण अधिकारी के पास अन्य संबंधित सामग्री को विचार में रखकर कर निर्धारण अधिकारी उसकी कुल आय अथवा हानि निर्धारित करेगा और इसके आधार पर करदाता द्वारा देय धन भी निर्धारित करेगा।

③ सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण (Best Judgement Assessment):-

जब करदाता कर-निर्धारण अधिकारी को सहयोग नहीं करता, तो कर-निर्धारण अधिकारी अपने पास

एकत्रित सामग्री एवं तथ्यों के आधार पर अपने सर्वोत्तम विवेक से जो कर-निर्धारण करता है उसे सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण कहते है।
इसे एक-पक्षीय कर निर्धारण भी कहते है।

सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण 2 प्रकार का होता है:-

① अनिवार्य सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण
② विवेकीय सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण

→ अनिवार्य सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण:- कर-निर्धारण अधिकारी निम्न में से किसी भी दशा में सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण (अनिवार्य) कर सकता है:-

(1) यदि करदाता अपनी आय का स्वैच्छिक अथवा नोटिस की प्राप्ति के बाद भी विवरणी दाखिल नहीं करता है
अथवा
(ii) यदि करदाता नोटिस के अनुसार लेखे अथवा अन्य प्रपत्र अथवा मांगी गयी सूचनाएं प्रस्तुत नहीं करता है

→ विवेकीय सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण :-
निम्न दशाओं में विवेकीय सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण किया जाता है :-

(i) यदि कर-निर्धारण अधिकारी करदाता के हिसाब-किताब की शुद्धता तथा पूर्णता से संतुष्ट न हो
(ii) करदाता ने हिसाब की कोई पद्धति नियमितता से न अपनायी हो।

④ पुन: कर-निर्धारण (Re-Assessment)

यदि कर-निर्धारण अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि किसी कर-निर्धारण वर्ष के संबंध में कोई कर-योग्य आय कर लगने से बच गई अथवा छूट गई है तो वह (धाराएं 148 से 153 तक के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए) ऐसी आय का कर-निर्धारण अथवा पुन: कर-निर्धारण कर सकता है।

⟹ आयकर विवरणी को दाखिल करना

Ⓐ स्वेच्छा से आयकर विवरणी (ITR) दाखिल करना

Ⓑ अनिवार्य रिटर्न दाखिल करना

Ⓐ स्वेच्छा से आयकर विवरणी (ITR) दाखिल करना

① व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा (HUF) :- (i) यदि किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार की आय कर-मुक्त सीमा से अधिक है तो उसे आयकर विवरणी दाखिल करना होगा।
(ii) व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की आय पर भी प्रतिनिधि के रूप में कर देने के लिए दायी है तो उसे ऐसी दशा में भी आयकर विवरण दाखिल करना होगा।

② कंपनी एवं फर्म द्वारा आयकर विवरण दाखिल करना :- प्रत्येक कंपनी एवं फर्म को देय तिथि तक गत वर्ष

की अपनी आय/हानि की विवरणी को दाखिल करना अनिवार्य है।

(3) साधारण निवासी व्यक्ति, जिसकी भारत के बाहर कोई सम्पत्ति है :-

भारत में साधारण निवासी व्यक्ति को जिसकी गत वर्ष में भारत के बाहर कोई संपत्ति है या उसे भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर करने का अधिकार है, देय तिथि तक गत वर्ष की अपनी आय/हानि की विवरणी को दाखिल करना अनिवार्य है।

(B) अनिवार्य रिटर्न (ITR) दाखिल करना

यदि कोई करदाता देय तिथि तक आय का रिटर्न दाखिल नहीं करता तो कर निर्धारण अधिकारी उसे नोटिस देकर रिटर्न दाखिल करने का निर्देश दे सकता है। नोटिस में रिटर्न दाखिल करने की अवधि का भी उल्लेख होता है। यदि इस अवधि में रिटर्न दाखिल नहीं की जाती तो धारा 234A के तहत ब्याज लगता है।

⇒ उद्गम स्थान पर कर की कटौती (TDS)

प्र०:- उद्गम स्थान पर कर की कटौती से क्या आशय है? (क) लॉटरी का इनाम (ख) प्रतिभूतियों पर ब्याज (ग) किराये का भुगतान पर उद्गम स्थान पर कटौती (TDS) के संबंध में क्या प्रावधान है?

उ०:- उद्गम स्थान पर कर की कटौती (TDS) : इसका आशय यह है कि कोई व्यक्ति आय का भुगतान करते समय उस आय पर निर्धारित दर से कर काट ले तथा शेष रकम आय प्राप्तकर्ता को देकर काटी हुई रकम सरकारी खजाने में जमा करा दे।

(क) लॉटरी का इनाम

लॉटरी के इनाम का भुगतान करने वाले व्यक्ति का दायित्व है कि यदि वह घरेलू कंपनी या निवासी व्यक्ति को ₹ 10,000 से अधिक इनाम का भुगतान कर रहा है तो इस

राशि पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती (TDS) निर्धारित दर से काट ले। यदि इनाम की राशि ₹ 10,000 या इससे कम है तो TDS नहीं काटा जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में कर निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए लॉटरी के इनाम पर 30% की दर से कर की कटौती की जाएगी।

(ख) प्रतिभूतियों पर ब्याज

प्रतिभूतियों पर ब्याज के संबंध में कर की कटौती के संबंध में निम्न प्रावधान है :-

1. किसको ब्याज = भारत में निवासी व्यक्ति या घरेलू कंपनी

2. कर की कटौती का समय = भुगतान करते समय या खाते में जमा करते समय, जो पहले हो।

3. कर को जमा करना - (क) जब भुगतानकर्ता के ... खाते की अंतिम तिथि को

ब्याज की राशि खाते में जमा की जाती है — उस माह की समाप्ति से दो माह में जिस माह में ब्याज की राशि का खाते में समायोजन किया गया है।

(ख) जिस माह में कटौती की गई, उस माह की अंतिम तिथि से एक सप्ताह में

4. कर की दर = 10%

5. कर कटौती का प्रमाण पत्र = फार्म नं० 16 A

(ग) किराये का भुगतान

एक व्यक्ति अथवा हिंदु अविभाजित परिवार (HUF) जिसे धारा 44 AB के अंतर्गत अपने खातों का अंकेक्षण कराना अनिवार्य है तथा अन्य करदाता यदि भारत में निवासी को एक वित्तीय वर्ष में ₹ 180,000 से अधिक किराये का भुगतान करता है तो उसे निम्न दरों से कर की कटौती करनी होगी :

(a) मशीनरी प्लांट के प्रयोग के लिए - 2%

(b) अन्य सम्पत्तियों के प्रयोग के लिए - 10%

कर का अग्रिम भुगतान (Advance Payment of Tax)

प्र:- अग्रिम कर देने का दायित्व कब उत्पन्न होता है? इस प्रकार का कर कब चुकाया जाता है तथा इसकी संगणना किस प्रकार की जाती है?

उ॰:- अग्रिम कर का अर्थ :- यह कर पेशगी के रूप में दिया जाता है, इसलिए इसे कर का अग्रिम भुगतान (Advance Payment of Tax) या चुकाओ जैसे कमाओ (Pay as You earn) भी कहा जाता है। इसे चुकाओ जैसे कमाओ इसलिए कहा जाता है क्योंकि करदाता जैसे-जैसे आय कमाता है वैसे-वैसे उस पर कर देता जाता है। यह कर चालू वर्ष की आय पर उसी वर्ष में दे दिया जाता है।

अग्रिम कर का दायित्व :- यदि किसी वित्तीय

की राशि 10,000 ₹ अथवा उससे अधिक हो तो उस वित्तीय वर्ष में अग्रिम कर (Advance Tax) चुकाना होगा।

अग्रिम कर की गणना :- देय अग्रिम कर की गणना निम्न प्रकार से की जाती है :-

① करदाता द्वारा कर की गणना

(i) यदि करदाता की कृषि आय नहीं है :-

- करदाता की संभावित कुल आय ज्ञात की जाएगी।
- इस आय पर चालू वित्त वर्ष के लिए अग्रिम कर के लिए निर्धारित दरों से कर की गणना की जाएगी।
- इस राशि में अधिभार जोड़ा जाएगा
- 3% की दर से शिक्षा उपकर जोड़ा जाएगा।
- फिर उद्गम स्थान पर काटे गए कर (TDS) एवं वसूल किए गए कर (TCS) की राशि घटाई जाएगी।
- अंत में, शेष राशि 10,000 ₹ या

इससे अधिक है तो अग्रिम कर का भुगतान करना होगा।

(ii) यदि करदाता की कृषि आय है:-
यदि करदाता की कृषि आय (5000 ₹ से अधिक) है तो कुल आय पर कर की गणना करते समय इसे ध्यान में रखा जाएगा।

② कर- निर्धारण अधिकारी द्वारा कर की गणना

यदि किसी करदाता पर नियमित कर- निर्धारण पहले कभी हो चुका है और उसने अग्रिम कर नहीं चुकाया है तो कर- निर्धारण अधिकारी उसे अग्रिम कर चुकाने का आदेश दे सकता है। ऐसा आदेश संबंधित गत वर्ष में 1 मार्च से पूर्व ही दिया जा सकता है। कर- निर्धारण अधिकारी निम्न में से जो आय अधिक होगी उस पर कर की गणना करके अग्रिम कर चुकाने का आदेश देगा:-

(i) सबसे अंत में हुए नियमित कर निर्धारण में निर्धारित कुल आय अथवा
(ii) यदि बाद के किसी वर्ष का करदाता ने आय का विवरण दाखिल कर दिया

है तो उसमें दिखायी गयी कुल आय

⟹ अग्रिम कर की किस्तें तथा देय तिथियां

Ⓐ कंपनी करदाता के लिए

किस्तों की देय तिथियां	अग्रिम कर की राशि का प्रतिशत
1. 15 जून अथवा उससे पूर्व	= 15%
2. 15 सितंबर अथवा उससे पूर्व	= 45% (पहली किस्त में चुकाई गई राशि घटाकर) अर्थात 30%
3. 15 दिसंबर अथवा उससे पूर्व	= 75% (पूर्व किस्तों में चुकाई गई राशि घटाकर) अर्थात 30%
4. 15 मार्च अथवा उससे पूर्व	= 100% (पूर्व किस्तों में चुकाई गई राशि घटाकर) अर्थात 25%

Ⓑ गैर कंपनी करदाता

किस्तों की देय तिथि	अग्रिम कर की राशि का प्रतिशत
1. 15 सितंबर तक	30%
2. 15 दिसंबर तक	60% (पूर्व किस्त घटाकर) अर्थात 30%
3. 15 मार्च तक	100% (पूर्व किस्तों को घटाकर) अर्थात 40%

UNIT-IV

प्र. कर की वसूली तथा कर की वापसी का क्या अर्थ है? कर की वसूली के विभिन्न तरीके बताइए।

उ:- **कर की वसूली :-** करदाता को मांग का नोटिस प्राप्त होने के बाद 30 दिन के अंदर नोटिस में लिखी हुई राशि चुकानी होगी। यदि कर-निर्धारण अधिकारी के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि पूरे 30 दिन की अवधि देने से सरकारी राजस्व को हानि हो सकती है तो वह राशि 30 दिन से कम की अवधि में मांग सकता है।

कर की वापसी :- यदि कोई करदाता देय कर से अधिक राशि का भुगतान कर देता है तो इस आधिक्य को वापस पाने का अधिकार है। यह कर-वापसी कहलाती है।

(वसूली के तरीके) :-

① **टैक्स रिकवरी ऑफिसर द्वारा वसूली :-** यदि करदाता कर चुकाने के लिए चूक में हो तो Tax Recovery officer अपने हस्ताक्षरों के अंतर्गत बकाया राशि का विवरण (प्रमाण-पत्र) बनाकर निम्न में से कोई एक या एक से अधिक विधियों से निर्दिष्ट राशि वसूल करने की कार्यवाही करेगा:-

(i) करदाता की चल अथवा अचल सम्पत्ति की कुर्की कराके उसकी बिक्री करना

(ii) करदाता को गिरफ्तार करके जेल में बंद करना।

(iii) करदाता की चल तथा अचल सम्पत्तियों के प्रबंध के लिए रिसीवर नियुक्त करना

② **वेतन कुर्क करना :-** यदि करदाता कहीं नौकरी करता है, तो कर-निर्धारण अधिकारी अथवा टैक्स वसूली अधिकारी उसके नियोक्ता को यह नोटिस दे सकता है कि वेतन में से राशि काट लें और उसे केंद्रीय सरकार के कोष में जमा कर दें।

(3) देनदारों से वसूली :- कर-निर्धारण अधिकारी अथवा टैक्स वसूली अधिकारी ऐसे व्यक्तियों को नोटिस दे सकता है जिनके पास करदाता की जो रकम जमा है अथवा जिन्हें करदाता को कोई रकम देनी है कि वे करदाता पर शेष कर, अर्ध-दण्ड, जुर्माना, आदि की रकम को कर-निर्धारण अधिकारी अथवा टैक्स वसूली अधिकारी को भुगतान कर दें।

(4) न्यायालय से :- यदि किसी न्यायालय के पास करदाता को भुगतान होने वाली कोई रकम जमा हो तो कर-निर्धारण अधिकारी या टैक्स वसूली अधिकारी ऐसे न्यायालय को प्रार्थना पत्र दे सकता है कि वह करदाता पर शेष कर आदि की रकम का भुगतान उसे कर दे।

(5) मुकदमा चलाकर वसूली :- यदि सरकारी ऋणों की वसूली करने का किसी अन्य अधिनियम में मुकदमा चलाकर वसूली का कोई प्रावधान है तो सरकार करदाता के विरुद्ध मुकदमा चलाकर बकाया राशि वसूल कर सकती है।

प्र० :- कमिश्नर (अपील) के यहां अपील की कार्यविधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

उ० :- **अपील** :- आयकर के संबंध में प्रारंभ में सब आदेश कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा दिए जाते हैं। कर-निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र को अपील कहते हैं।

⟹ **कमिश्नर (अपील) के यहां अपील**

कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील कमिश्नर (अपील) के यहां की जा सकती है।

कमिश्नर (अपील) के यहां अपील करने की शर्तें :-

(1) **अवधि** :- (क) प्रत्येक अपील निर्धारित फार्म (Form No. 35) पर निर्धारित ढंग से सत्यापित करके उस आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अंदर की जा सकती है। जिस आदेश के विरुद्ध अपील होनी है।

(ख) कमिश्नर (अपील) उक्त अवधि के बीत जाने पर भी अपील ले सकता है यदि वह इस बात से संतुष्ट हो जाए कि अपील करने वाला पर्याप्त कारणों से निर्धारित समय के अंदर अपील नहीं कर सका था।

(2) कर- भुगतान :- किसी अपील को दाखिल करने से पूर्व निम्न राशि चुकानी होगी :-

(i) यदि करदाता ने आयकर विवरण (ITR) दाखिल कर लिया है तो विवरण में दिखाई गई आय पर कर चुकाना होगा।

(ii) यदि करदाता ने ITR दाखिल नही किया है तो उसे जो अग्रिम कर चुकाना चाहिए था, वह चुका देता है।

(3) फीस :- अपील के प्रार्थना पत्र के साथ निम्न फीस दाखिल करनी होगी :- (i) यदि कर- निर्धारण अधिकारी द्वारा गणना की गई कुल आय :-

(क) 10000 ₹ से अधिक नही है तो → 250 ₹

[illegible]

20000 ₹ से अधिक नही है = 500 ₹

(ग) 20000 ₹ से अधिक है = 1000 ₹

अपील की कार्यविधि :-

① तारीख एवं स्थान की सूचना देना :- कमिश्नर (अपील) अपील सुनने के लिए एक तारीख तथा स्थान नियत करेगा तथा करदाता और संबंधित कर- निर्धारण अधिकारी को इस तारीख एवं स्थान की सूचना देगा।

② अपील के संबंध में बोलने का अधिकार :- अपील की सुनवाई में निम्न व्यक्तियों को अपील के संबंध में प्रस्तुत होकर बोलने का अधिकार है :-

(क) अपील करने वाला, स्वयं अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि

(ख) कर- निर्धारण अधिकारी चाहे स्वयं अथवा उसका प्रतिनिधि

③ सुनवाई स्थगित करना :- कमिश्नर (अपील) को यह अधिकार है कि वह अपील की सुनवाई समय- समय के लिए स्थगित कर सकता है।

(4) जांच करने का अधिकार:- कमिश्नर (अपील) अपील का अंतिम निर्णय देने से पहले, जैसा उचित समझे जांच कर सकता है अथवा कर-निर्धारण अधिकारी को जांच करने और उसकी रिपोर्ट उसको देने का आदेश दे सकता है।

(5) अतिरिक्त आधारों पर सुनवाई:- अपील की सुनवाई के समय, अपील करने वाले को अपील के ऐसे कारणों पर भी बोलने के लिए स्वीकृति दी जा सकती है जो अपील के फॉर्म में न लिखे गये हों।

(6) निर्णय का लिखित आदेश:- अपील के निर्णय का आदेश लिखित में होना चाहिए तथा उसमें उन कारणों का उल्लेख होना चाहिए जिनके आधार पर उसने अपना निर्णय दिया है।

(7) अपील पर निर्णय की समय-सीमा:- जहां तक संभव होगा वह अपील की सुनवाई करके अपना

निर्णय अपील दाखिल करने वाले वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष में दे देगा।

(8) आदेश की प्रति भेजना:- अपील के निर्णय के आदेश की प्रतिलिपि करदाता को तथा मुख्य कमिश्नर अथवा कमिश्नर को भेजी जायेगी।

प्र:- विभिन्न दशाओं में आय कर अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन के लिए क्या प्रावधान है?

उ:- (1) उद्गम स्थान पर काटे हुए कर को जमा करने में चूक:-

यदि कोई व्यक्ति उद्गम स्थान पर कर काटकर केंद्रीय सरकार के कोष में जमा नहीं करता अथवा धारा 115-O के अंतर्गत वितरित लाभांश पर देय कर का भुगतान नहीं करता अथवा वस्तुओं के रूप में लॉटरी की जीत पर कर का भुगतान नहीं करता अथवा

वस्तुओं के रूप में लॉटरी की जीत पर कर का भुगतान नहीं करता, तो उसे कम से कम 3 माह तथा अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कैद की सजा होगी और जुर्माना भी लगेगा।

(2) उद्गम स्थान पर संग्रह किया गया कर जमा करने में चूक :- धारा 206 C के अंतर्गत संग्रह किये गये कर को निर्धारित अवधि के अंदर यदि केंद्रीय सरकार के कोष में जमा करने में कोई व्यक्ति चूक करता है तो उसे कम से कम 3 माह तथा अधिक से अधिक 7 वर्ष की कड़ी कैद की सजा होगी और जुर्माना भी लगेगा।

(3) तलाशी के मामलों में आय का विवरण दाखिल करने में चूक करना :- यदि कोई व्यक्ति जान-बूझकर आय का विवरण देय तिथि तक दाखिल नहीं करता है तो उसे तलाशी के मामले में धारा 158 BC (a) के अंतर्गत दाखिल करना था तो उसे कम से कम 3 माह और अधिक से अधिक 3 वर्ष की सजा होगी और जुर्माना लगेगा।

(4) हिसाब तथा प्रपत्र प्रस्तुत करने में चूक करना :- यदि कोई व्यक्ति धारा 142 (1) के अंतर्गत जारी किये नोटिस में मांगे गये हिसाब तथा प्रपत्र नियत तिथि को जान-बूझकर प्रस्तुत नहीं करता है अथवा जान-बूझकर अपने हिसाब का अंकेक्षण नहीं करवाता है तो उसे एक वर्ष तक की कड़ी कैद की सजा दी जायेगी अथवा न्यूनतम 4 रु प्रति दिन की दर से तथा अधिकतम 10 रु प्रति दिन की दर से जुर्माना किया जायेगा।

(5) सरकारी अफसरों द्वारा कोई सूचना किसी को दे देना :- यदि कोई सरकारी अफसर धारा 138 (2) के आयोजनों का उल्लंघन करके किसी को सूचना दे देता है अथवा कोई प्रपत्र दिखा देता है तो उसे 6 माह तक की कड़ी कैद की सजा तथा जुर्माने का दंड दिया जाएगा।

Shan 21/4/15